

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: पी.1(29)चेरवा/ग्रुप-3/96

जयपुर, दिनांक : 19.11.2004

अधिसूचना

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा कारिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केंद्रीय अधिनियम सं. 34) की धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों और अधिरोपित कर्तव्यों का उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रयोग करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

- 1- समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
- 2- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 3- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 4- समस्त सहायक औषधि नियन्त्रक।
- 5- समस्त औषधि नियन्त्रक अधिकारी।
- 6- समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र)।
- 7- समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र)।
- 8- उप निरीक्षक से अनिम्न रैंक के समस्त पुलिस अधिकारी।

राज्यपाल के आदेश से,

(गुरचरण सिंह सन्धु)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है:-

- 1- सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज. जयपुर।
- 2- सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
- 3- निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 5- निजी सचिव/ मुख्य सचिव महोदय।
- 6- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह मंत्रालय)।
- 7- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक पी.16011/1/2004 पीएच/दिनांक 10.03.2003 के सन्दर्भ में।
- 8- महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नांकित को मृथक से प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार ने विनोद और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रसार और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग -2 खण्ड -1 में दिनांक 19.05.2003 को प्रकाशित) जो कि दिनांक 01.05.2004 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है के प्रावधानों के अन्तर्गत 100 वर्ग से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद के बेचान, शिक्षण संस्थानों के 100 से अधिक परिसरों में तम्बाकूयुक्त उत्पादों के सफाई, वितरण/बेचान, प्रचार-प्रसार के माध्यमों द्वारा सिगरेट, बीडी, तम्बाकूयुक्त पान, मसाला, गुटका, चिक्किट्सा एवं विज्ञापन-प्रसारण को प्रतिषेधित किया है। सार्वजनिक स्थलों तथा शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, राजकीय कार्यालयों, यातायात के संसाधनों (रेल्वे, बसें, हवाई जहाज इत्यादि) पर्यटन स्थलों, रेलवे स्टेशनों, एयर पोर्ट प्रतिक्षालयों, न्यायालय परिसरों, रेस्टोरेन्टों, होटलों (30 अथवा अधिक कक्षा (हॉल) एवं मनोरंजन स्थलों इत्यादि) स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिषेधित किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों के स्वामियों/संसाधकों को दिये, उनके संस्थानों के क्षेत्र में "धूम्रपान निषेध क्षेत्र" यहाँ "धूम्रपान निषेध क्षेत्र" का चेतावनी का सूचना पट्ट (बोर्ड) लगाया जाना भी अनिवार्य किया है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत 30 कमरों वाले होटलों एवं इससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्त्रों के भौतिक धूम्रपान क्षेत्र को इस प्रकार अलग-अलग करके कि अधुनवासी व्यक्तियों को गैर धूम्रपान क्षेत्र में पहुँचने के लिए धूम्रपान क्षेत्र से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़े। पृष्ठ 1 पर अंकित अधिसूचना राजस्थान सरकार के असाधारण गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.04 में प्रकाशित की जा चुकी है। कृपया आपके अधीन संस्थानों में इन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराई जाये—

- 1- समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान
- 2- गहा निदेशक, आरस्सी, राज. जयपुर
- 3- समस्त आयुक्त/अध्यक्ष, निगम एवं बोर्ड, राजस्थान
- 4- मण्डल प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर
- 5- समस्त. सभागीय आयुक्त, राजस्थान
- 6- समस्त. शासन सचिव, राजस्थान सरकार
- 7- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 8- सचिव, राजस्थान विद्यालय, जयपुर
- 9- सचिव, लोकयुवक सचिवालय, जयपुर
- 10- समस्त. जिला कलेक्टर, राजस्थान
- 11- समस्त. जिला अध्याक्ष, राजस्थान
- 12- प्रजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
- 13- प्रजीयक, समस्त विश्वविद्यालय, राजस्थान
- 14- प्रजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर
- 15- प्रवक्ता, एयरपोर्ट जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
- 16- अधि नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर
- 17- समस्त आयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.
- 18- समस्त. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
- 19- समस्त. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान
- 20- सक्षिा पत्रावली।